प्रेस विज्ञप्ति

5.8.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने 31.07.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मापुसा, गोवा के समक्ष रोहन हरमलकर, अलकांत्रो डिसूजा, एस्टेवन एल्विस डिसूजा, मोहम्मद सुहैल और समीर कालिदास सतार्डेकर के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 के तहत विभिन्न अपराधों जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र, जिसमें बर्देज़ तालुका, उत्तरी गोवा में अचल संपत्तियों के धोखाधड़ी से हस्तांतरण और बिक्री शामिल है, के लिए दर्ज दो एफआईआर- एफआईआर संख्या 149/2022 थाना: मापुसा और एफआईआर संख्या 34/2023 थाना: अपराध शाखा, गोवा के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि रोहन हरमलकर के नेतृत्व में आरोपियों ने, दूसरों के साथ मिलकर, वसीयत, सूची कार्यवाही, वंशावली रिकॉर्ड और बिक्री विलेख जैसे जाली दस्तावेज़ों के ज़रिए धोखाधड़ी से कई अचल संपत्तियाँ हासिल कीं। फिर इन संपत्तियों को बेदाग़ बताकर तीसरे पक्ष के खरीदारों को बेच दिया गया, जिससे अपराध की आय का दुरुपयोग हुआ।

जांच के दौरान, पीएमएलए की धारा 17(1) के तहत आरोपी व्यक्तियों से जुड़े परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए और कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।

जाँच के दौरान, रोहन हरमलकर को 03.06.2025 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। जाँच से पता चला कि जालसाजी की योजना बनाने, फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने और नकद तथा बैंकिंग माध्यमों से भारी मात्रा में वित्तीय लाभ प्राप्त करने में उसकी मुख्य भूमिका थी।

अब तक, प्रत्यक्ष पीओसी वाली कई अचल संपत्तियों की पहचान की गई है, जिनका मूल्य 212.85 करोड़ रुपये से अधिक है और उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.07.2025 के आदेश के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। शेष पीओसी का पता लगाने और उन्हें कुर्क करने के प्रयास जारी हैं, ताकि धन शोधन की पूरी प्रक्रिया का पता लगाया जा सके, इनकी संख्या काफी अधिक हो सकती है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।